



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1944 (श10)
(सं0 पटना 158) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मार्च 2022

okf.kT ; & d j foHkx

अधिसूचना

31 मार्च 2022

अधिसूचना संख्या 02/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 75 दिनांक 31 मार्च 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017), की धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे माल की अंतःराज्यीय पूर्ति को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, जो उक्त सारणी के कॉलम (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है:

सारणी

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	फ्लाई ऐश की ईट या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स	3%	1

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे	3%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईटे	3%	1
4.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले	3%	1

स्पष्टीकरण -

- (i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।
- (ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) माल की पूर्ति में अनन्य रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है; और (ख) माल की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल की पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 17 की उपधारा (2) और तदधीन बनाये गए नियम के उपबंध लागू होते।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-12) 02)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

31 मार्च 2022

एस० ओ० 75, दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)02)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 31st March 2022***Notification No. 02/2022– State Tax (Rate)**

S.O. 75, Dated 31st March 2022—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said table:

Table

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks	3%	1
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths	3%	1
3.	6904 10 00	Building bricks	3%	1
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles	3%	1

Explanation. –

- For the purposes of this notification, “Tariff item”, “sub-heading”, “heading” and “Chapter” shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975).
- The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) and the rules made thereunder.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)02)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 158-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode